

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि.

कार्यालय मेन्युअल
सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

अध्याय – 3
निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रक्रिया का पालन किया जाता है

पंजीकृत कार्यालय
पंचानन, पंचम तल, मालवीय नगर, भोपाल

अध्याय—3

निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

1. किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है (सचिवालय मेनुअल और विजीनस मेनुअल के नियमों,आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है।)

निगम में किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार म.प्र. शासन, संचालक मंडल एवं प्रबंध संचालक को है। (तकनीकी, मार्गदर्शिका 2000, निगम के सर्विस नियम 1984, म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. एकाउन्ट मेनुअल भारतीय वन अधिनियम, म.प्र. वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम, काष्ठ चिरान अधिनियमन, वन्य प्राणी अधिनियम, अन्य प्रचलित विधि एवं अधिनियम) में उल्लेखित नियमों/ निर्देशों/आदेशों/प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

2. किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिये किस किस स्तरों पर विचार किया जाता है।

विभिन्न स्तरों से निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर निर्णय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत म.प्र. शासन, संचालक मंडल एवं प्रबंध संचालक द्वारा लिया जाता है।

3. लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिये क्या व्यवस्था है।

जनता द्वारा चाही गई जानकारी मांगे जाने पर नियमों के अनुसार जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराई जाती है।

4. विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की प्रस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है।

म.प्र. शासन, संचालक मंडल तथा प्रबंध संचालक द्वारा क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक एवं अधिनस्थ मंडल प्रबंधकों हेतु कार्यों पर की गई अनुशंसाओं पर निर्णय लिये जाते हैं।

5. अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी।

म.प्र. शासन, संचालक मंडल एवं प्रबंध संचालक।

6. मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करें।

विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाता है)	प्रकरण से संबंधित जानकारी
दिशा निर्देश	निगम / शासन के नियमानुसार
निर्णय लेने की प्रक्रिया	निगम / शासन के नियमानुसार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	प्रबंध संचालक
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लि., पंचानन, पंचम तल, मालवीय नगर, भोपाल
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें	1. मुख्यालय – अपर प्रबंध संचालक (प्रशा.) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी 2. क्षेत्रीय स्तर पर – क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी 3. राज्य सूचना आयोग